

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR: NEW DELHI-110029

Security Department

Dated 31st May, 2019

CIRCULAR

Subject: Tobacco Free AIIMS.

A circular dated 16th February, 2019 on the above cited subject was issued by the Department of Security that smoking and chewing of tobacco in the premises of AIIMS, New Delhi is prohibited and is an offence. The security personnel were also instructed to not allow the patients and their attendants, visitors and staff members to use tobacco in any form in the premises of AIIMS, New Delhi.

However, it has been observed that the above instruction is not being complied and staff members are often found smoking and chewing tobacco in AIIMS premises. It has been viewed seriously by the competent Authority.

It is once again brought to the notice of all concerned that smoking and spitting tobacco is prohibited in AIIMS premises. If any staff member is found smoking and spitting tobacco in the AIIMS premises, strict departmental action shall be initiated against him.

All Security Assignment Managers are directed to properly sensitize the security persons to abstain themselves from the use of tobacco products, stop visitors/patients from doing so and report about the AIIMS employees found in such activity, to their immediate area officers, in writing, to further refer the case to the concerned department for necessary administrative action.


for (Chief Security Officer)

To

- PS to Director/DDA/MS
- All Departments
- All Union Presidents
- All Security Officers
- All Assignment Managers.
- All Notice Boards
- ✓ - Officer-Incharge (CF)- Request to upload the above on AIIMS Website

P-575295
316/19

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

सुरक्षा विभाग

दिनांक:

परिपत्र


विषय: तम्बाकू मुक्त अ.भा.आ.सं.

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 फरवरी, 2019 को सुरक्षा विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था कि अ.भा.आ.सं. के परिसरों में धूम्रपान करना तथा तम्बाकू चबाना निषिद्ध एवं अपराध है। सुरक्षा कर्मचारियों को यह निदेश भी दिए गए थे कि वे रोगियों तथा उनके परिचरों, आगंतुकों और स्टाफ सदस्यों को अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली के परिसरों में किसी भी रूप में तंबाकू का उपयोग करने की अनुमति न दें।

हालांकि, यह देखा गया है कि उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा स्टाफ सदस्यों को अ.भा.आ.सं. के परिसरों में अधिकांशतः धूम्रपान करते हुए तथा तम्बाकू चबाते हुए देखा गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है।

यह एक बार पुनः सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाया जाता है कि अ.भा.आ.सं. परिसर में धूम्रपान एवं तम्बाकू का सेवन वर्जित है। यदि अ.भा.आ.सं. के परिसरों में कोई भी स्टाफ सदस्य धूम्रपान या तम्बाकू का सेवन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई आरंभ की जाएगी।


सभी सुरक्षा कार्य प्रबंधकों (एसाइनमेंट मैनेजर) को निदेश दिया जाता है कि वे सुरक्षा कर्मचारियों को उचित प्रकार से निर्देश दें कि वे स्वयं तम्बाकू उत्पादों का सेवन न करें, आगंतुकों/रोगियों को भी ऐसा करने से रोकें और यदि अ.भा.आ.सं. का कोई कर्मचारी तम्बाकू का सेवन करता पाया जाता है, तो वह इसकी सूचना तत्काल अपने निकटतम क्षेत्र अधिकारियों को लिखित में दें ताकि आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई हेतु मामले को संबंधित विभाग के पास भेजा जा सके।


(मुख्य सुरक्षा अधिकारी)

वितरण:

- निदेशक/उप-निदेशक (प्रशासन)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव
- सभी विभाग
- सभी यूनियन अध्यक्ष
- सभी सुरक्षा अधिकारी
- सभी एसाइनमेंट मैनेजर
- सभी सूचना पट्ट
- प्रभारी अधिकारी, (कंप्यूटर सुविधा) - उपर्युक्त को अ.भा.आ.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने के

अनुरोध के साथ।


25/2/19